छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
// आदेश //

क्रमांक एफ 20–95/04/11/6 रायपुर, दिनांक 6/5/05

प्रति,

1–उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर
2– प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो0
रायपुर

विषयः– औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उद्योग स्थापनार्थ निःशुल्क प्लाट आवंटन ।

संदर्भः– औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट 4 का बिन्दु क्रमांक 06

राज्य शासन व्दारा उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरशन व्दारा संधारित औद्योगिक क्षेत्रों में उपाबंध–1 में दर्शायें गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार प्रयोजन हेतु सामान्य क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक तथा अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्ड इन वर्गो के सदस्यों के लिये आरक्षित करने का निर्णय लिया है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशों का पालन किया जावे ।

ये निर्देश दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील होगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(अनुप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर

C:\My Documents\IP SEC\Notificition Amandmant 2004-09.doc

"उपाबंध–1"

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 20–95/04/11/6 रायपुर दिनांक 4.5.2005
प्रति,

1–उद्योग आयुक्त,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

2– प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो0लि0
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आवंटन सेवा शुल्क ।

संदर्भः– औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट 4 का बिन्दु क्रमांक 10

राज्य शासन व्दारा निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी भूमि के अर्जन और शासकीय भूमि के हस्तान्तरण से प्राप्त भूमि पर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन व्दारा भू आबंटी औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त की जाने वाली भूमि मूल्य के 25 प्रतिशत अधिक राशि के स्थान पर भूमि मूल्य तथा भूमि मूल्य की 10 प्रतिशत राशि सेवा शुल्क के रूप में ली जाएगी ।

2– यह आदेश दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 01.11.2004 या उसके पश्चात् निष्पादित पट्टामिलेखों पर लागू होगा ।

3– वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 715 /बजट–5 / वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 व्दारा इसकी सहमति प्रदान की गयी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(अनुप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ0क्रमांक एफ 20–95/04/11/6 रायपुर दिनांक 4.5.2005
प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके यू0ओ0 क्रमांक 715 /बजट–5 / वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 के संदर्भ में ।

2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर की आरे सूचनार्थ ।

विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

C:\My Documents\IP SEC\Notificition Amandmant 2004-09.doc